ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(9): 207-211
www.allresearchjournal.com
Received: 01-08-2023
Accepted: 02-09-2023

डॉ0 ज्योति कुमार
सीनियर सेकेण्ड्री टीचर (पॉलिटीकल साइंस), रा0 कृत+2 रामेश्वर उच्च विद्यालय, बम्भई, अरवल, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 ज्योति कुमार
सीनियर सेकेण्ड्री टीचर (पॉलिटीकल साइंस), रा0 कृत+2 रामेश्वर उच्च विद्यालय, बम्भई, अरवल, बिहार, भारत

लोकतंत्र का उद्भव और विकास : एक अध्ययन

डॉ0 ज्योति कुमार

DOI: https://dx.doi.org/10.22271/allresearch.2023.v9.i9c.11281

शोध सारांश
आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र एक सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय शासन पद्धति है। यह जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। इसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। सच कहा जाये तो लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन पद्धति भी है जो मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए जनसाधारण की महिमा का रक्षक तथा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा व न्याय का समर्थक है। भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। प्राचीन भारत के बुद्धकालीन समय में कुछ गणराज्यों की उपस्थिति से यहां लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में यहां सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी गणराज्य कायम था, जिसकी राजधानी वैशाली (आधुनिक बिहार राज्य में स्थित एक जिला) में था। वैशाली स्थित लिच्छवी गणराज्य को विश्व का प्रथम गणतंत्र के साथ–साथ मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम माना गया है। जिस समय विश्व के अधिकांश देश बर्बर अवस्था में थे उस समय लिच्छवी गणतंत्र में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत दृष्टिगोचर होते थे जो आधुनिक लोकतंत्र का मूलाधार है। दुनिया के इस सबसे पुराने गणतंत्र का लोकतंत्र के सिद्धांतों से काफी तालमेल था, जिसका विश्व के लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत शोधपत्र में लोकतंत्र के उद्भव एवं इसके क्रमिक विकास का सूक्ष्म और गंभीर अध्ययन करने का प्रयास किया गया है, जिसकी वर्तमान में महत्ती आवश्यकता एवं प्रासंगिकता है, ताकि दुनिया हमारी अनमोल विरासत से परिचित हो सके।

कूटशब्द : प्राचीन भारत, लोकतंत्र की जननी, बुद्ध काल, गणराज्य, लिच्छवी गणतंत्र, सर्वोत्तम शासन, सुदृढ लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्रमिक विकास।

प्रस्तावना
लोकतंत्र वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति बन गया है। आज विश्व के अधिकांश देश लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर हैं। लोकतंत्र को अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से उत्तम माना जाता है। इससे जनता के शासन का बोध होता है। यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं शासक और शासित दोनों होती है। मानव जीवन के समस्त पहलुओं में समानता लोकतांत्रिक समाज की विशेषता होती है। लोकतंत्र में फैसले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से नहीं बल्कि बहुमत की इच्छाओं के अनुरूप सामूहिक सहमति से लिये जाते हैं। इस प्रकार प्राचीन काल से ही एक आदर्श शासन के रूप में कायम यह व्यवस्था (लोकतंत्र) आज के युग की पुकार बन चुका है। लोकतंत्र आज विकास का नारा है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं गरिमा को स्थापित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र मानव कल्याण तथा विश्व बंधुत्व को प्रेरित करता है। आज विश्व के जिन राष्ट्रों में वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वे भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लोकतंत्र की श्रेणी में रखने का दावा करते हैं और अपने को लोकतांत्रिक कहने में गर्व की अनुभूति करते हैं।[1] अतः प्रारम्भ समय से अबतक लोकतंत्र के विकास का विश्लेषण आवश्यक है।

इस सिलसिले में यदि हम भारत की बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अवधारणाओं का विकास 13वीं शताब्दी में रचित मैग्नाकार्टा जिसे पश्चिमी विद्वान लोकतंत्र की बुनियाद बताते हैं, से भी पहले की है। यहां कई सदियों पहले से ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकतांत्रिक परम्परा की शुरूआत हो गयी थी। या, यूं कहें कि भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है।[2] यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में लोकतंत्र का विकास 1215 में जारी किए गए इंग्लैड के कानूनी परिपत्र 'मैग्नाकार्टा' से नहीं बल्कि सहयोग, समन्वय एवं सहअस्तित्व पर आधारित प्राचीन एवं सनातन जीवन पद्धति से हुआ है। वास्तव में, लोकतंत्र भारत की आत्मा है।

ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करें तो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही लोकतंत्र के विकास का क्रम जारी हुआ है। प्राचीन विश्व में भारत, रोम इत्यादि महान सभ्यताओं में लोकतंत्र के कुछ लक्षणों के साक्ष्य मिलते हैं और हम देखते हैं कि उस काल के मानव समाज में भी लोकतंत्रीय

संस्थाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। इस क्रम में यहां उल्लेखनीय है कि यूरोप के कुछ देशों जैसे कि प्राचीन यूनान व रोम आदि ने भारत को देखकर ही गणराज्यों की स्थापना की थी। यूनान के गणतंत्रों से पहले ही भारत में गणराज्यों का जाल विछा हुआ था।[3] ऐसे गणराज्य बुद्धकाल में ही फल – फूल रहे थे। इस तरह देखा जाए तो भारत में लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना है। यहां प्राचीन काल से ही सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। हमें इसके सर्वप्रथम अंकुर प्राचीन भारत के राजनीतिक साहित्यों और संस्थाओं में उपलब्ध होते हैं।[4] इसका इतिहास भारत में लिच्छवी गणराज्य के समय से ही देखने को मिलता है। वास्तव में यह बहुत ही महान और शक्तिशाली गणराज्य था, जिसकी कद्र पूरे उत्तर भारत में थी। सबसे अहम बात तो यह है कि इसी लिच्छवी से लोकतंत्र ने अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की थी। आज दुनिया में लोकतंत्र का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह प्राचीन भारत और खासकर लिच्छवी की ही देन है।[5] यह कहना सही होगा कि शासन का यह रूप आज विश्वव्यापी बन चुका है। इसके दो प्रकारों में अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र ही ज्यादातर आज विश्व में कायम है।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्त्तमान शोध पत्र में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है वे निम्न हैं :–

1) लोकतंत्र के उदभव एवं विकासक्रम आदि का गहन अध्ययन करना।
2) प्राचीन भारत के लिच्छवी गणतंत्र से आधुनिक लोकतंत्र की यात्रा का विश्लेषण करना।
3) भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी और इसका इतिहास कितना पुराना है, इस तथ्य को ज्ञात करना।
4) एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र विश्व में सर्वप्रथम प्राचीन भारत में कार्यान्वित हुआ, इस अनछुए तथ्य से जो अनभिज्ञ हैं उनके संज्ञान में यह विषय लाना।
5) उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर सम्यक प्रकाश डालना जिसके तहत लोकतंत्र का समकालीन विश्व में विकास हुआ और इसकी लोकप्रियता बढ़ी।

साहित्यावलोकन

संदर्भित साहित्य की समीक्षा के आधार पर इस शोध पत्र को लिखा गया है, जिसे संदर्भ सूची में वर्णित किया गया है। साहित्यावलोकन के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि लोकतंत्र के उद्भव और विकास विषय पर केवल आंशिक चिंतन और शोध अध्ययन ही हुए हैं। इस दृष्टि से प्रस्तुत शोध पत्र निश्चित ही इन पहलूओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है।

अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए अध्ययन सामग्री अधिकांश रूप से द्वितीयक स्त्रोतों से ग्रहण की गयी है। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्त्रोतों में प्रामाणिक पुस्तकों, विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों, वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में समय–समय पर प्रकाशित तथ्य (संपादकीय एवं अन्य लेखों) से शोध सामग्री प्राप्त किये गये हैं। इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति के साथ–साथ शोधकर्त्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है।

अध्ययन की उपयोगिता, औचित्य और महत्व

प्रस्तुत शोध पत्र लोकतंत्र के उद्भव और विकास के अनुछुए पक्षों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। अबतक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोकतंत्र से संबंधित हमारी जानकारी सिर्फ इतनी थी कि लोकतंत्र केवल पाश्चात्य देशों की ही उपज है। लेकिन प्रस्तुत शोध अध्ययन में लोकतंत्र के उद्भव और विकास का विवेचन प्राचीन भारत के बिहार प्रांत स्थित वैशाली (तत्कालीन लिच्छवी गणराज्य/गणतंत्र) से प्रारंभ की गयी है, जिसपर अबतक बहुत कम ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें भारत के प्राचीन गणतंत्रों से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक की यात्रा बेहद रोचक एवं विस्तृत ढंग से प्रस्तुत की गयी है। साथ ही साथ पूरी दुनिया ने लोकतंत्र की प्रेरणा इसी भारत से ली थी आदि मुद्दे भी इस शोध पत्र से स्पष्ट होंगे।

निश्चित रूप से यह शोध अध्ययन लोकतांत्रिक राजनीति के अध्येताओं, शोधार्थियों, शिक्षकों, नीति–निर्माताओं के साथ–साथ इस क्षेत्र में रूचि रखने वाले तमाम लोगों के लिए उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा, जो इस विषय को समझना तो चाहते हैं लेकिन पाठ्य सामग्री के बिखराव के कारण असमंजस की स्थिति में हैं।

प्राचीन काल में लोकतंत्र का विकास

लोकतंत्र के विकास के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अवलोकन करना समीचीन होगा। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि ऐतिहासिक रूप से भारत लोकतंत्र का जनक है। जब एथेंस का अस्तित्व भी नहीं था तब भारत में लोकतंत्र पल्वित–पुष्पित हो रहा था।[6] प्राचीन साहित्यों से प्राप्त तथ्यों के अनुसार ईसा से लगभग छठी शताब्दी पहले यानी बुद्धकाल में भारत में गंगा घाटी के कई गणराज्य ऐसे थे, जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। उस अवधि में यहां विभिन्न प्रकार की समितियों, सभाओं एवं गणों की चर्चा भी मिलती है। डायडोरस सिक्युलस ने अपने ग्रंथ में भारत के उत्तर–मध्य प्रांतों में अनेक गणराज्यों की उपस्थिति का उल्लेख किया है। इन गणराज्यों में कपिलवस्तु का शाक्य, सुमार पर्वत के भागों का प्रान्त, अलकम्प का बुलि, मिथिला के विदेह, पिप्लीवन के मोरिय, कुशीनारा का मल्ल और वैशाली के लिच्छवी तथा अनेक छोटे–मोटे गणराज्य शामिल थे जहां लोकतांत्रिक परम्परा स्थापित हो चुकी थी।[7] बौद्ध एवं जैन धर्म के ग्रंथों में भी इस बात के उल्लेख मिलते हैं जो पुष्टि करते हैं कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व था।

इस क्रम में यहां प्राचीन भारत के वैशाली स्थित लिच्छवी गणराज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया जा सकता है, जहां दुनिया का पहला गणतंत्र कायम हुआ था। वास्तव में, विश्व को सर्वप्रथम लोकतंत्र का ज्ञान कराने वाला स्थान वैशाली ही है।[8] इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिमालय की तराई से लेकर गंगा के बीच फैली भूमि पर वज्जियों तथा लिच्छवियों के संघ 'अष्टकुलक' द्वारा गणतांत्रिक व्यवस्था की शुरूआत की गई थी। उन दिनों ये प्रांत लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाता था, जिसका मुख्यालय वैशाली (आधुनिक बिहार राज्य का एक जिला) में था। इसका संस्थापक राजा सूर्यवंशीय राजा इश्वाकु का पुत्र विशाल था। यह क्षेत्र काफी प्रभावशाली था अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की वजह से।[9] वैशाली स्थित लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख बुद्धधर्म से सम्बन्धित धर्मग्रंथों में विशेषकर जातक कथाओं में भी मिलता है। अरस्तू द्वारा शासन व्यवस्था के वर्गीकरण में भी इसकी चर्चा देखने को मिलती है। आधुनिक अनुसंधानों से भी इस बात की पुष्टि हुयी है कि वैशाली में उस समय का सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी गणराज्य कायम था।[10] प्राचीनकाल में यह गणराज्य पूर्णतः लोकतांत्रिक सिस्टम से संचालित होता था। इस गणराज्य में सभी नागरिक मिल–जुलकर प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे। आज दुनिया में जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू दिखती है, वह यहां के लिच्छवी शासकों की ही देन है। इसे ही दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपनाया है और इसे मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम माना गया है। आज भारत हो या यूरोप या फिर अमेरिका सब वैसी ही प्रणाली को मानते हैं जैसी आज से लगभग 2600 साल पहले वैशाली में शुरू हुयी थी। कई

इतिहासकार का ये भी मानना है कि अमेरिका में जब लोकतंत्र का ताना–बाना बुना जा रहा था, तब वहां के पॉलिसी मेकर्स के मस्तिष्क में वैशाली के गणतंत्र का मॉडयूल चल रहा था।[11]

ऐतिहासिक साक्ष्यों के अवलोकन से यह पता चलता है कि वैशाली में गणतंत्र की स्थापना लिच्छवियों ने की थी। लिच्छवियों का संबंध एक हिमालयन ट्राईब 'लिच्छ' से था। दरअसल वैशाली गणराज्य को लिच्छवियों ने इसलिए खड़ा किया था ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से बचा जा सके। और अगर कोई बाहर से आक्रमण करे तो गणराज्य को जनता का पूरा समर्थन हासिल हो। गणराज्यों के विवरणों से पता चलता है कि लिच्छवी गणराज्य अति समृद्ध, सुरक्षित, विशाल और संपन्न था। कुछ इतिहासकार इसे गणतंत्र का मक्का भी कहते हैं।[12]

लिच्छवी गणतंत्र के संविधान से यह ज्ञात होता है कि आज जो लोकतांत्रिक देशों में उच्च सदन और निम्न सदन की प्राणाली है, जहां सांसद जनता के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ये प्रणाली भी वैशाली गणराज्य में विद्यमान था। वहां उस समय छोटी–छोटी समितियां थी जो गणराज्य के अंतर्गत आनेवाली जनता के लिए नियमों और नीतियों को बनाते थे। लिच्छवी गणतंत्र में राज्य की समस्त शक्ति जनता में निहित था। राजा का अस्तित्व तो था, परंतु उसकी स्थिति जनता के सेवक के रूप में मान्य थी।[13] प्रजा की भलाई करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। यहां का शासक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता था। राज्य शक्ति समूह में निहित थी। अनेक सदस्यों से बनी संस्था परिषद कहलाती थी। परिषद की कार्यवाही जिस भवन में होती थी उसे संथागार कहा जाता था। इसे भारत की पहली एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसद माना जाता है, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता था।[14] यह एक प्रकार का खुला एवं सार्वजनिक मंच था, जहां बैठकर राज्य के सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। लिच्छवी गणतंत्र में राजाओं की संख्या असंख्य थी। राजाओं के साथ शासन करनेवाले उप राजा, सेनापति और भंडागारिकों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी। परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति की भी व्यवस्था थी। प्रायः प्रत्येक प्रस्ताव पर गहन वाद–विवाद होता था। बहुमत अथवा सर्वसम्मति से ही कोई ठोस निर्णय लिया जाता था। परिषद से अनुपस्थित सदस्यों को भी यह अधिकार था कि वे लिखकर अपना मत दे सकें। उनके मतों को गुप्त रखा जाता था। इस प्रकार लिच्छवी गणतंत्र में गुप्त मतदान पद्धति भी विद्यमान थी।[15]

लिच्छवी गणतंत्र में प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था थी। लिच्छवी के प्रशासन पद्धति के बारे में यहां से प्राप्त मुद्राओं से बहुत कुछ जानकारी मिलती है। शासन की सुविधा के लिए अनेक विभाग होते थे, जिनमें सेना, वित्त तथा न्याय विभाग का प्रमुख स्थान था। सेना के प्रधान को सेनापति, वित्त विभाग के प्रधान को भंडागारिक तथा न्याय विभाग के प्रधान को विनिश्चयामात्य कहा जाता था। राज्य की रक्षा के लिए प्रत्येक युवक को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। लिच्छवी गणतंत्र में न्यायालयों की भी समुचित और श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था थी। आधुनिक युग की ही तरह दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व न्यायालय थे। अंतिम न्यायालय का नाम एटथाकुलाका था। अंतिम न्यायालय की नजर में अगर कोई दोषी व्यक्ति निर्दोष पाया गया तो उसे रिहाई दे दी जाती थी, परन्तु दोषी पाये गये व्यक्ति को 'पेविनीपोठाका' नामक कानून के अनुसार कठोरतम सजा दी जाती थी।[16] लिच्छवी में स्थानीय स्वशासन की भी व्यवस्था थी। नगर की समुचित व्यवस्था तथा शांति रक्षा के लिए नगरतुलिक का पद था।

इस तरह लिच्छवी गणतंत्र अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण था। उनमें आदर, मतैक्यता, दृढ़ता, सहिष्णुता, शांति, सौहार्द्र जैसी भावनाओं की धारा प्रवाहित होती थी। लिच्छवी की प्रशंसा आज भी होती है। भगवान बुद्ध ने भी लिच्छवियों की सुंदर शासन व्यवस्था की प्रशंसा मुक्त कंठ से की थी।[17] लेकिन कालांतर में लिच्छवी गणराज्य अपनी कई कमजोरियों के कारण समाप्त हो गया। महात्वाकांक्षी राजाओं की विस्तारवादी नीतियों के कारण यह व्यवस्था स्थायी रूप से कायम नहीं रह सकी। लेकिन फिर भी यह भारतीय गणराज्यों का अंत नहीं था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वे फिर से पनपने–फैलने लगे। दरअसल मानव हृदय में बसी लोकतंत्रीय भावनाओं को मिटा पाना संभव नहीं हो सका था और इसी भावना के साथ भारत में सदियों से चली आ रही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भावी वैश्विक समाज के लिए प्रेरणापूंज बना।

मध्य काल में लोकतंत्र का विकास

मध्यकाल में लोकतंत्र की स्थापना और विस्तार से संबंधित घटनाक्रम का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। सत्य यह है कि मध्ययुगीन समाज ने लोकतंत्र के विकास में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया। कई सामाजिक, आर्थिक तथा सैन्य कारकों ने मध्ययुग में लोकतंत्र को कमजोर कर दिया था। इस काल में भारत में भी लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास देखा गया।[18] उल्लेखनीय है कि मध्य युग में सामंतवादी अराजकता और दलितता के परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक सिद्धांत मृतप्राय थे। यूरोप में पुनर्जागरण और धर्मसुधार आंदोलनों के बावजूद भी निरंकुश राजतंत्र के वातावरण में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास नहीं हो सका। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद मध्ययुग तक विश्व के अधिकांश राज्यों में राजतंत्र का काल कायम रहा। उस समय से लेकर आधुनिक काल के प्रारंभ तक यह प्रशासनिक व्यवस्था कायम रही। लेकिन मानव जीवन की तरह मनुष्य की राजनीतिक संस्थाएं भी परिवर्तनशील है। कालक्रम में उनका स्वरूप भी बदलता रहा है। इस तरह राजतंत्र का क्रमशः अवसान हो गया और इसका स्थान लोकतंत्र ने लेना प्रारंभ कर दिया।[19]

आधुनिक काल में लोकतंत्र का प्रसार

ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार आधुनिक युग में लोकतंत्र का आरंभ 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। इस युग में ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति (1688) से ही लोकतंत्र की शुरूआत मानी जाती है। लेकिन इससे पहले भी लोगों ने अपने अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की आधुनिक संकल्पना 1215ई0 में रचित इंग्लैंड के मैग्नाकार्टा के माध्यम से ही विकसित हुयी। परंतु ब्रिटेन में लोकतंत्र के विकास की गति काफी धीमी थी। हालांकि, इसी से प्रेरित होकर 1776 ई0 में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गयी और फिर वहां 1787 ई0 में लोकतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया गया, जो आज तक कुछ संवैधानिक संशोधनों के साथ लागू है। इसी प्रकार 1789 की फ्रांस की राज्यक्रांति ने विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा बुलंद कर मजबूत लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह क्रांति एक जनविद्रोह थी। जिसने पूरे यूरोप में जगह–जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।[20] वास्तव में, 1688 में ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति, 1776 की अमेरिकी क्रांति तथा 1789 के फ्रांस की क्रांति के उपरांत विश्व पटल पर सशक्त लोकतंत्र की स्थापना हुयी। इस समय तक विश्व के अधिकांश देश राजतांत्रिक तथा उपनिवेशवादी शक्तियों के अधीन थी।

19 वीं शताब्दी में लोकतंत्रः यद्यपि 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष जोर तो पकड़ा और प्रगति भी हुई। परंतु इस शताब्दी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष मूलतः स्वतंत्रता, रानीतिक समानता और न्याय जैसे मूल्यों तक ही सीमित रहा। लोकतंत्र का ध्यान सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की ओर आकृष्ट नहीं हो सका। केवल न्यूजीलैंड विश्व का पहला स्थापित लोकतंत्र था

जहां 1893 ई0 से सार्वभौम मताधिकार अपने नागरिकों को प्राप्त कराया था।[21]

20 वीं शताब्दी में लोकतंत्रः 20वीं शताब्दी लोकतंत्र का स्वर्ण युग माना जाता है।[22] इस अवधि में लोकतांत्रिक शासन पद्धति को विश्व के कई देशों ने स्वीकारा है। खासकर द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न देशों में होड़–सी मच गई। इस दौर में वर्षों के औपनिवेशिक शासन के उपरांत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, घाना जैसे देश स्वतंत्र हुए तथा वहां लोकतंत्र की स्थापना हुयी। इसके साथ ही 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत विश्व एकध्रुवीय हो गया। अमेरिका एकमात्र वैश्विक शक्ति के रूप में लोकतंत्र तथा वैश्वीकरण का समर्थन कर रहा था। इस दौर में नेपाल, चीली, लीबिया, बंग्लादेश, म्यांमार, पोलैंड सहित सोवियत संघ से विघटित अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकारा। नेपाल में राजपरिवार तथा चीली, लिबिया, बंग्लादेश व म्यांमार में सैन्य शासकों तथा पोलैंड में एकल राजनीतिक दल की तानाशाही से संघर्ष के उपरांत लोकतंत्र स्थापित हुआ। भूटान के नरेश ने भी स्वयं अपना अधिकार वहां की जनता के प्रतिनिधियों को समर्पित कर दिया।[23]

लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ स्थानों पर तानाशाही, सैन्य शासन, राजतंत्र जैसी शासन व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, जहां समय–समय पर लोकतंत्र स्वीकारने के लिए आंदोलन होते रहते हैं। इस सिलसिले में देखा जाए तो आज भी अरब देश, म्यांमार, थाईलैंड जैसे कई देशों में तानाशाही सैन्यतंत्र तथा राजतंत्र की जड़ें मौजूद है।[24] जिम्बाबे, घाना, चीन, हंगरी, रूस जैसे देशों में अभी भी पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी है। भारत के पड़ोसी राज्यों खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में वक्त–वक्त पर सैन्य ताकतों द्वारा लोकतांत्रिक सत्ता का तख्तापलट किया जाता रहा है। अस्तु, इन देशों में लोकतंत्र का पतन और उत्थान इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि जनता लोकतंत्र के प्रति समर्पित है तो वह सैनिक तानाशाही व्यवस्था को समाप्त कर फिर से लोकतंत्र की स्थापना कर सकती है।

वर्तमान विश्व में लोकतंत्र के लिए संघर्ष

हाल के कुछ वर्षों में थाईलैंड सहित विश्व के कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन हाते देखा गया है।[25]

* थाईलैंड की जून्टा (सैन्य सरकार) तथा राजशाही के विरूद्ध 2014 से ही छात्रों का प्रतिरोध निरंतर बढ़ता गया। जिसके फलस्वरूप वहां आपातकाल लागू करना पड़ा।
* हांगकांग में चीन के हस्तक्षेप के विरूद्ध संघर्ष जारी है।
* लम्बे संघर्ष के बाद म्यांमार में आंग सान सू ची के नेतृत्व की लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में आयी परंतु सैनिक तख्ता पलट ने वहां लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। फलस्वरूप म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष आज भी जारी है।
* लीबिया में जनरल गद्दाफी के 42 वर्षों तक तानाशाही शासन के उपरांत भी अभी तक पूर्ण लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है। वहां आज भी इसके लिए गृह युद्ध जारी है।
* चीन के साम्यवादी लोकतंत्र के विरोध में भी कई बार प्रदर्शन हुए हैं।
* इन देशों के साथ–साथ सूडान, सीरिया, जिम्बाबे, लेबनान, ट्यूनेशिया इत्यादि देशों में भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष होते रहे हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसका जनक भारत ही है। भारत में लोकतांत्रिक परम्पराएं काफी प्राचीन थी और इसी भारत से लोकतंत्र ने अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की थी, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच सर्वमान्य हो चुका है। कुल मिलाकर, लोकतंत्र पूरे विश्व को भारत की अनूठी देन है। जब विश्व के अन्य देशों में राजतंत्र, कुलीनतंत्र, निरंकुशतंत्र और अधिनायकतंत्र का बोलबाला था, उस समय भारत के लिच्छवी गणराज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो चुकी थी। सारी दुनिया ने लोकतंत्र की प्रेरणा यहीं से ग्रहण की थी। आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है वह भारत की ही दी हुयी चीज है। यहां से निकला लोकतांत्रिक चिन्तन निःसंदेह बदलती वैश्विक व्यवस्था में दुनिया को नई दिशा दे रहा है।

यकीनन, यह प्रशासनिक व्यवस्था जनआकांक्षाओं एवं जनभावनाओं के अनुरूप थी। अतः इसका क्रमशः विकास होता गया। और खासकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लोकतंत्र का तेजी से विकास हुआ। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। बचे हुए अन्य राष्ट्रों में भी इसकी स्थापना के लिए निरंतर संघर्ष जारी है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय–समय पर लोकतंत्र के प्रसार को आघात भी पहुंचा है, फिर भी यह विश्व भर में सर्वोत्तम शासन के रूप में अपना स्थान बना चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती एवं जीवंत रूप प्रदान करते हुए वैश्विक लोकतंत्र (वैश्विक सरकार) की स्थापना के मार्ग पर अग्रसर है। सारांशतः यह कहना उचित होगा कि हमारा शाश्वत लोकतांत्रिक विरासत वह प्रेरणापूंज है जो हमें और भावी पीढ़ियों को सदैव गर्व का अहसास कराती रहेगी तथा भारत को विश्व पटल पर विकसित राष्ट्र बनने तथा विश्वगुरू की राह पर पुनर्स्थापित करने में मददगार साबित होगी।

सन्दर्भ

1. कॅुमर, रविन्द्र नाथ, (2009), लोकतांत्रिक राजनीति, स्टुडेण्ट्स फ्रेण्ड्स प्रकाशन, पटना, पृष्ठ –05.
2- Punjabkesari.in, Dec.10,2020.
3. जोशी, अनिरूद्ध, विश्व का प्रथम गणतंत्र भारत में जन्मा न कि एथेंस में, Webdunia (हिन्दी), 25 जनवरी 2021.
4. काश्यप, सुभाष, गुप्त, विश्वप्रकाश, (1998), राजनीति कोष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय–दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ–93.
5. श्रीवास्तव, एल.पी., भारत में लोकतंत्र की यात्रा, प्रदीप (दैनिक समाचार पत्र), पटना 25 दिसंबर 1985.
6. जोशी, अनिरूद्ध, पूर्वोक्त।
7. शुक्ल, वीरेन्द्र (2012), हाई स्कूल राजनीतिशासत्र, भारती भवन, पटना, पृष्ठ'–03.
8. श्रीवास्तव, एल.पी., पूर्वोक्त।
9. https://hindi.news18.com (दुनिया का पहला गणराज्य था प्राचीन भारत का वैशाली)
10. कॅुमर, रविन्द्र नाथ, पूर्वोक्त, पृष्ठ–06
11. https://hindi.news18.com, पूर्वोक्त।
12. वही।
13. शुक्ल, वीरेन्द्र, पूर्वोक्त, पृष्ठ–04
14. श्रीवास्तव, एल.पी., पूर्वोक्त।
15. शुक्ल, वीरेन्द्र, पूर्वोक्त, पृष्ठ–04
16. सिंह, प्रभुनाथ प्रसाद, (2018), लोकतांत्रिक राजनीति, आलोक भारती प्रकाशन, पटना, पृष्ठ–13
17. श्रीवास्तव, एल.पी., पूर्वोक्त।
18. सिंह, प्रभुनाथ प्रसाद, पूर्वोक्त, पृष्ठ–13
19. कॅुमर, रविन्द्र नाथ, पूर्वोक्त, पृष्ठ–06
20. सिंह, प्रभुनाथ प्रसाद, पूर्वोक्त, पृष्ठ–14
21. वही, पृष्ठ–15

22. श्रीवास्तव, एल.पी., पूर्वोक्त।
23. https://dhyeyaias.in (विश्व में प्रसारित होती लोकतांत्रिक अवधारणा–समसामयिकी लेख)
24. वही।
25. वही।